186

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/5/12/वीएस/डीईएस/2013/ 532 दिनांकः 14.11.2019

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषयः– जन्म–मृत्यु पंजीकरण रिकार्ड का डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्रांक 43213–45 दिनांक 12.11.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार जन्म–मृत्यु पंजीयन सम्बन्धी गत दस वर्षो के रिकार्ड के डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग कराये जाने के क्रम में प्रथम चरण में गत तीन वर्षो (01.01.2011 से 31.12.2013) के रिकार्ड के डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस कार्य का सम्पादन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिकृत ई–मित्र कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से कराये जाने हेतु राज्य स्तर पर राजकॉम्प एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के मध्य सम्पन्न अनुबन्ध (MoU) के अनुसार डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर संचालित ई–मित्र/सीएससी के द्वारा किया जाना था, परन्तु समीक्षा उपरान्त पाया गया है कि ई–मित्र संचालकों द्वारा उक्त कार्य पूर्ण करने में रूचि नही होने के कारण गत वर्षो के जन्म–मृत्यु पंजीयन रिकॉर्ड का डिजिटाईजेंशन एंव स्केनिंग कार्य अपूर्ण रहे गया है।

उक्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों या इससे कम दरों पर निविदा आंमन्त्रित कर करवाया जाना है। यह निर्णय सक्षम स्तर से अनुमोदित है। कार्य के सम्पादन एवं भुगतान संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. डिजिटाईजेंशन एवं स्केनिंग कार्य के लिए परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये कार्य की व्यय राशि के अनुसार निविदा आंमन्त्रित कर फर्म का चुनाव किया जावे।

2. निविदा में निर्णित न्यूनतम दर वाली फर्म की सूचना सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निदेशालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. डिजिटाईजेंशन एवं स्केनिग से शेष रहे रिकॉर्ड की ग्राम पंचायतवार संख्या ज्ञात कर चयनित एजेन्सी/फर्म द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय पर सभी ग्राम पंचायतों के रिकॉर्डो को पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रार को दी गई ऑपरेटर आई.डी. पर ग्राम पंचायत के जन्म–मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड/रजिस्टर से दर्ज किया जावेगा।
4. एजेन्सी/फर्म द्वारा पंहचान पोर्टल पर दर्ज किये गये रिकॉर्ड को संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा ऑनलाईन सत्यापित किया जावेगा एवं सत्यापन का प्रमाण पत्र संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।
5. रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड सत्यापन के पश्चात प्रतिमाह एजेन्सी/फर्म द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को संबंधित कार्य का बिल माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किया जावेगा।
6. प्रस्तुत बिल में दिये गये रिकॉर्डो के डिजिटाईजेंशन एवं स्केनिंग कार्य का सत्यापन संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किया जाकर बिल जिला रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित किये जावेगे।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा बिलों के ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के सत्यापन पश्चात आवश्यक जांच कर जिले के इकजाई मूल बिल निदेशालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख को आवश्यक रूप से प्रेषित किये जावेगे।
8. निदेशालय द्वारा प्राप्त बिलों का विभाग के पी.डी. खाते से संबंधित एजेन्सी/फर्म के बैक खाते में सीधे ही भुगतान कर दिया जावेगा।
9. भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीयन रिकॉर्ड के डिजिटाईजेंशन एवं स्केनिग की दर 2.50 रूपये प्रति रिकॉर्ड निर्धारित है, पर या इससे कम दर निविदा निर्णित की जावें।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार शेष रहे रिकॉर्डो के डिजिटाईजेशन एवं स्केनिग के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करते हुए 31.12.2019 तक कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

188

Bill For Digitization and Scanning work of Birth and Death records

District Name :.....

Agency/Firm Name :.....

Period- From .....to .....

Sr. No.	Panchayat Samiti Name	Gram panchayat Name	No. of Birth/Death records completed	Rate (in Rs. Per records)	Grand Total (in Rs.)
	Total				

Verify by

DD/AD/BSO

Signature of Proprietor/Authorized person

Name

Address and Contact No.